

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 73/2020 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा प्लॉट नं. ई-2, भूतल, के. जे. सिटी टॉवर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

- (1) श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी (ऋणी)
(अ) ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर।
(ब) मैसर्स सालासर ट्रेडर्स, मुहाना पावर हाऊस के सामने, मुहाना रोड़, सांगानेर, जयपुर।
- (2) श्रीमती मोनिका माहेश्वरी पत्नी श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर
- (3) श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर
- (अ) श्रीमती सुनीता माहेश्वरी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी (श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी की विधिक उत्तराधिकारी)
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर।
- (ब) श्रीमती किरण माहेश्वरी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी
(श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी की विधिक उत्तराधिकारी)
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर।
- (स) सुश्री प्राची माहेश्वरी पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी
(संरक्षक श्रीमती किरण माहेश्वरी के माध्यम से श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी की विधिक उत्तराधिकारी)
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर।
- (द) सुश्री गुड़िया माहेश्वरी पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी
(संरक्षक श्रीमती किरण माहेश्वरी के माध्यम से श्री देवेन्द्र कुमार माहेश्वरी की विधिक उत्तराधिकारी)
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर)

श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.10.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 16, मोतीभवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना 11-ई, रामपुरा डाबड़ी, जयपुर स्थित सम्पत्ति क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज को बन्धक कर राशि 50 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 50,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 50,75,718/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 16, मोतीभवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना 11-ई, रामपुरा डाबड़ी,

जयपुर क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर ही।



7. आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनुर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर

24/8/2020